



राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-प.2 (सब) आ.कृ./जी-39/18-19/गुप-9/4349-58 दिनांक 30/7/18


संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार)  
जयपुर/भरतपुर/जोधपुर/उदयपुर/जालौर/  
बीकानेर/श्रीगंगानगर/भीलवाडा/सीकर/कोटा ।

विषय:- दिनांक 31-03-2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले सहायक कृषि अधिकारियों की सूचना उपलब्ध कराने बाबत ।

विषयान्तर्गत आयुक्तालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 708-818 दिनांक 10.05.2018 द्वारा आपके अधिनस्थ (उधान विभाग /आई.जी.एन.पी./सी.ए.डी./प्रतिनियुक्त पर कार्यरत सहित) कार्यालयों में दिनांक 31-03-2019 तक की अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले सहायक कृषि अधिकारियों की निम्न प्रपत्र में सूचना इकजाई कर इकजाई सूचना आयुक्तालय को उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था, बाछित सूचना प्राप्त नहीं होने से पुनः निवेदन है कि चाही गयी सूचना उपलब्ध कराने का श्रम करावे :-

प्रपत्र

क.स.	कार्यालय का नाम	सहायक कृषि अधिकारी का नाम	जन्म तिथि (सेवापुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित प्रति संलग्न करें )	अधेवाषिकी आयु पूर्ण करने की तिथि	नियुक्ति दिनांक से आज दिनांक तक का पदस्थापन विवरण	सी.सी.एस.नियम 16 के तहत जॉच बकाया है / लभित है या नहीं की सूचना	सी.सी.एस.नियम 19 के तहत जॉच बकाया है / लभित है या नहीं की सूचना	केंद्र न्यायिक कार्यवाहियों लभित है या नहीं की सूचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9

  
(सोमेन्द्र शर्मा)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

कर्मोंक:-प.2 (सब) आ.कृ./जी-39/16-17/गुप-9/ 4349-58 दिनांक 30/7/18  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-


1-निदेशक, उधान विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि आपके अधिनस्थ एवं अधिनस्थ कार्यालयों में कार्यरत सहायक कृषि अधिकारी जो कि दिनांक 31-03-2019 तक सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं कि सूचना निम्न प्रमाण पत्र एवं कार्मिक के सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ जिसमें इनका नाम अंकित हो के साथ अविलम्ब आयुक्तालय को उपलब्ध करावे :-

1. सी.सी.नियम 16 के तहत कोई अनुशासनात्क कार्यवाही लम्बित है या नहीं है ।
2. सी.सी.नियम 19 के तहत कोई अनुशासनात्क कार्यवाही लम्बित है या नहीं है ।
3. कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित है या नहीं ।

2- समस्त उप निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद को भेजकर लेख है कि आपके अधिनस्थ कार्यरत सहायक कृषि अधिकारी जो कि दिनांक 31-03-2019 की अवधि में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं कि सूचना उपरोक्त प्रपत्र में खण्ड कार्यालय के माध्यम से आयुक्तालय को उपलब्ध करावे ।सी.सी.ए. नियम 16 व अन्य के तहत जाँच से सम्बन्धित पावर खण्ड कार्यालयों में निहित की गयी है अतः चाही गई वॉछित सूचना सीधे आयुक्तालय को प्रेषित नहीं करके खण्ड कार्यालय के माध्यम से ही उपलब्ध करावे ।

3- समस्त सहायक निदेशक कृषि (वि) को भेजकर लेख है कि आपके अधिनस्थ कार्यरत सहायक कृषि अधिकारी जो कि दिनांक 31-03-2019 की अवधि में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं कि सूचना उपरोक्त प्रपत्र में खण्ड कार्यालय के माध्यम से आयुक्तालय को उपलब्ध करावे ।सी.सी.ए.नियम 16 व अन्य के तहत जाँच से सम्बन्धित पावर खण्ड कार्यालयों में निहित की गयी है अतः चाही गई वॉछित सूचना सीधे आयुक्तालय को प्रेषित नहीं करके खण्ड कार्यालय के माध्यम से ही उपलब्ध करावे ।

4- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय जयपुर को विभागीय बैबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।



(उदयमान सिंह)  
उप निदेशक कृषि (प्रशासन)